भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE

Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में की जाने वाले बागवानी कार्यों संबंधी निविदा

निविदा दस्तावेज

बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि 01.12.2016 अपराहन 4.00 बजे तक

खुलने की तिथि :

1. तकनीकी बोली खुलने की तिथि : 02.12.2016 पूर्वान्ह 11:00 बजे
2. वित्तीय बोली खुलने की तिथि : सफल निविदाकर्ता को बाद में सूचित की जायेगी।

फोन : 0522–2841022, 2841023 फैक्स नं. : 0522.2841025 वेबसाइट : **www.cish.res.in**

इमेलः **cish.lucknow@gmail.com**

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE

Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल)में की जाने वाले बागवानी कार्यों संबंधी निविदा

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रायबरेली रोड स्थित परिसर तथा रहमान खेड़ा स्थित ब्लाक 1,2,3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे की जाने वाली बागवानी प्रक्षेत्र कार्य संबंधी निविदा

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरणिका	पृष्ठ सं.
1.	निविदाकार को संबोधित पत्र जिसमे निविदा से संबंधित सामान्य सूचना तथा दिशा निर्देश दिए गए है।	05–10
2.	निविदाकार का पत्र निदेशक सी.आई.एस. एच. लखनऊ को संबोधित।	11–12
3.	अनुभव संबंधी प्रपत्र (संलग्नक I)	13
4.	निविदा की अनुसूची–I जिसमे I,II एवं III भाग सन्निहित हो।	14–15
5.	अनुसूची -II कार्य का विषयक क्षेत्र/किए गए कार्य तथा सामान्य सूचना अन्य सेवा ठेका संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्ते।	16–26
6.	वित्तीय बोली (सलग्लक II)	27–31
7.	तकनीकी बोली (सलग्लक III)	32

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE

Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रायबरेली रोड स्थित परिसर तथा रहमान खेड़ा स्थित ब्लाक 1,2,3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे की जाने वाली बागवानी प्रक्षेत्र कार्य संबंधी निविदा।

महत्वपूर्ण तिथियॉ एवं सूचना

क्र. सं.	अनुसूची का ब्योरा	तिथि, समय, तथा सूचना
1.	मोहरबन्द निविदाओ की प्राप्ति	01.12.2016 4.00 बजे तक
2.	तकनीकी बोली को खोलना	02.12.2016 11.00 बजे
3.	वित्तीय बोली को खोलना	वित्तीय बोली खोलने की तिथि सफल निविदाकर्ता को बाद में सूचित की जायेगी।
4.	निविदा की विधिमान्यता	निविदा खोले जाने के दिन से 180 दिनो तक
5.	निविदा अवधि	अनुबन्ध के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष तक
6.	ई.एम.डी. राशि जमा	₹ 80,000/–
7.	बागवानी के प्रक्षेत्र संबंधी कार्य निष्पादन हेतु सुरक्षा जमा	निविदा की राशि का 10 प्रतिशत
8.	सी.आई.एस.एच. लखनऊ द्वारा भुगतान	मासिक बिलो तथा संबंधित द्वारा बिलो के प्रभागीकरण पर

महत्वपूर्ण

1. निविदा दो बोलीय प्रणाली की होगी – वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों बोलियों को अलग–अलग सील बंद लिफाफों में जिनके ऊपर वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये प्रेषित करें। उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली खोली जायेगी जिनकी बोली तकनीकी अर्हकताओं को पूरा करेगी।
2. तकनीकी बोली के निबंधन एवं शर्तों में सभी वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें भी होंगी।
3. संस्थान के विगत रिकार्ड के अनुसार बागवानी तथा प्रक्षेत्र कार्य में आनुमानिक व्यय लगभग रूपये पैतीस लाख (₹ 35,00,000.00) होगा जिसका वर्णन निविदा में भी किया गया है।

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE

Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

फाइल सं. 1–14 / 2016–17 / एम. दिनाक 10.2016

सेवा मे,

.....

.....

.....

विषाय – बागवानी संबंधी प्रक्षेत्र कार्य–लखनऊ स्थित रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे मौसमी कार्यो के आउटसोर्स के लिए मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है–

बागवानी संबंधी प्रक्षेत्र कार्य–लखनऊ स्थित रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे।

महोदय,

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में दो प्रायोगिक फार्म तथा माल्दा (पश्चिम बंगाल) हैं। एक रहमानखेड़ा (क्षेत्रः132.5 हेक्टेयर) जों लखनऊ शहर से 30 कि.मी. दूर स्थित है जबकी दूसरा रायबरेली रोड (क्षेत्रः13.2 हेक्टेयर) पर एवं तीसरा के.उ.बा.सं.–आर.आर. एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) (क्षेत्र 70.04 एकड़) में स्थित है। यह निविदा तीनों फार्मों के लिए है। निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान के रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसरो एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में बागवानी के प्रक्षेत्र संबंधी मौसमी कार्यों के आउटसोर्स के लिए मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. इस निविदा मे दो बोली प्रणाली सम्मिलित है – वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों ही बोलियाँ अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफों में प्रेषित की जानी चाहिए जिनके ऊपर स्पष्ट अक्षरों मे लिखा होना चाहिए । वित्तीय बोलियाँ उन्हीं निविदाकारों की खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली अर्हता प्राप्त करेंगी।
2. संलग्नक तीन में तकनीकी बोली अनुलग्न है जिसमें सभी तकनीकी विवरणों के साथ वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें दी गई हैं।

3. फर्म/पार्टी जो वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उद्धरित करेंगे उन्हें एक हजार रूपया निविदा शुल्क आई.सी.ए.आर. यूनिट–सी.आई.एस.एच. के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में अलग–अलग कार्यों के लिये अलग–अलग जमा करना होगा अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

4. एक ₹ 80,000.00 (₹ अस्सी हजार) की अग्रदाय राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में आई. सी.ए.आर. यूनिट सी.आई.एस.एच, लखनऊ के नाम देय होगी, जमा की जाएगी। अग्रदाय राशि का विवरण लिफाफे के ऊपर लिखित होगा। इसमें ड्राफ्ट/पेय आर्डर तथा तारीख इंगित होगी। यदि निविदा के साथ अग्रदाय राशि जमा नहीं कराई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. निविदाकार को निविदा यह विचार कर जमा करने दिया जायेगा कि जमा करने के पश्चात् निविदा के प्रति उसका लचीला रूप नहीं होगा या वह निबंधन एवं शर्तों में संशोधन नहीं चाहेगा। यदि निविदाकार उद्धरित राशि का अवलोकन एवं अनुपालन करने में विफल होता है तो संस्थान ई.एम.डी. राशिा जब्त कर लेगी। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तो संस्थान द्वारा दिये गये तरीके से उसके द्वारा निविदाकार के रूप में जमा की गयी ई.एम.डी. राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

6. निविदा प्रारूप की सूची पूर्ण रूप से वापस जमा करनी होगी तथा उसका कोई भी पेज अलग नहीं किया होना चाहिये। यदि अपेक्षित उद्देश्य से संबंधित अनुसूची में दी गयी जगह अपर्याप्त हो रही हो तो अतिरिक्त पन्ने लगाये जा सकते हैं। प्रत्येक अतिरिक्त पन्ने पर पृष्ठ संख्या क्रमागत रूप से दी होनी चाहिये तथा निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित भी होनी चाहिये। इन मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों संबंधित संदर्भ का वर्णन निविदा प्रारूप में किया जाना चाहिये। यदि संविदाकार द्वारा उद्धरित दरों पर ओवर राइटिंग किया गया है या उसको मिटाया गया है तो संविदा नामंजूर कर दी जाएगी।

7. यदि प्रारूप में अपेक्षित पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है तो संविदा को अनदेखा किया जा सकता है। या संविदा की सूचियों में माँगे ब्योरे को नहीं उपलब्ध कराया गया है। अनुबंध से संबंधित संविदा या अन्य दस्तावेजों पर जिसे व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे किस क्षमता में हस्ताक्षर कर रहे हैं। 1. फर्म के एक मात्र

प्रोपराइटर के रूप में या एक मात्र मालिक को कांस्टीट्यटेड अटर्नी के रूप में 2. यदि फर्म पार्टनरशिप में हो तो फर्म के पार्टनर के रूप में।

ऐसा तभी किया जाये जब पार्टनर के पास साझेदारी वाले व्यापार में विवाद होने पर विवादक के पास मामले को प्रेषित करने का प्राधिकार हो।

साझेदारी समझौता या मुख्तारनामा होने पर या 3. यदि यह एक कंपनी है तो फर्म के कांस्टीट्यूटेड अटर्नी होने की स्थिति में।

8. यदि सी.आई.एस.एच द्वारा कार्य अवार्ड किये जाने के 15 दिनों के अन्दर संविदाकार ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऑफर को वापस ले लिया जायेगा तथा अग्रदाय राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. फर्म यदि साझेदारी में है तथा साझेदारी के व्यवसाय संबंधी विवाद उत्पन्न पर विवायक के पास जाने का प्राधिकार किसी के पास नहीं हो तो निविदाओं तथा फर्म के अन्य सभी दस्तावेजों पर फर्म के पार्टनरों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निविदा या किसी ठेका से संबंधित अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो किसी अन्य के बदले में तो इसे वारंटी मानी जायेगी कि उस व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार होगा तथा यदि जाँच के दौरान ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों के पास ऐसा करने का कोई प्राधिकार होगा तो परिषद अन्य सिविल तथा क्रिमिनल रेमेडीज को संज्ञान में लाये हुए संविदा को रद्द कर देगा तथा हस्ताक्षरकर्ता को सभी लागतों तथा क्षतियों के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। निविदा तथा निविदाओं की सूचियों तथा संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ को निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।
10. निविदाओं की मूलप्रति को दो कवरों में अनुलग्न करना होगा। अंदर का कवर सील बंद होना चाहिये। बाहरी कवर पर निविदकार के कार्यालय का पता लिखा होना चाहिये ''सी.आई.एस.एच. रमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर लखनऊ एवं के.उ.बा. सं. – आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के मौसमी बागवानी प्रक्षेत्र कार्य हेतु''। तकनीकी बोली, वित्तीय बोली तथा मुख्य लिफाफा अलग–अलग होना चाहिये। सभी निविदाएँ पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिये। दस्ती रूप से भेजे गये निविदाओं को केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में रखे हुये निविदा बॉक्स में डालना होगा।

11. यदि फर्मों द्वारा सी.आई.एस.एच. रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर लखनऊ एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के मौसमी बागवानी प्रक्षेत्र संबंधी संविदा कार्य के लिये उद्धृरित दरें एक ही हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाओं के खुलने के समय निविदाकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वह स्वयं उपस्थित रहें या किसी अन्य प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर दें। निविदाओं में उपस्थित होने वाले निविदाकारों के नाम तथा पता अनिवार्य रूप से उद्धृरित करे यदि कोई नियमित प्रतिनिधि हो तो उसका नाम भी उद्धृरित करें।
12. संस्थान न्यूनतम राशि वाले निविदा को मानने के लिये बाध्य नही है। संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निविदा को संपूर्ण रूप से या खण्डों में स्वीकार करे। निविदाकार के पास यह स्वतंत्रता है कि वह पूरे क्षेत्र के लिये या किसी एक हिस्से के लिये निविदा दायर करे। इसके लिये कोई अन्य प्रकार के शर्तबंद निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
13. चयनित एजेन्सी/सफल निविदकार संस्थान द्वारा फैक्स, पत्र आदि से प्रेषित स्वीकृति के उपरान्त बागवानी प्रक्षेत्र का कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा राशि के रूप में कुल संविदा मूल्य की राशि का 10 प्रतिशत जमा करवायेंगे। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो अग्रदाय राशि जब्त कर ली जायेगी।
14. निविदाकार को संस्थान की ओर से बागवानी प्रक्षेत्र कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि तथा अग्रदाय राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
15. भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि संविदाकार को कोई सेवा कर या सामग्री/सेवा पर कोई अन्य कर निविदा से संबंधित देना हो तो उसे स्वयं ही देना होगा तथा संस्थान इससे संबंधित किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा। सेवा पंजीकरण टैक्स संख्या के साथ तीन संख्या अनिवार्य रूप से हर अदायगी बिल पर उद्धृरित रहेगी। इनकम टैक्स या उत्तर प्रदेशा सरकार का कोई अन्य कर एजेन्सी द्वारा स्वयं ही संबंधित विभागों को दिया जायेगा। संस्थान द्वारा सफल निविदाकार के मासिक बिलों से नियमों/अनुदेशों में होने वाले परिवर्तनों के मद्देनजर टी.डी.एस. काटा जायेगा। यदि आवश्यकता होगी तो फॉर्म 16 जारी किया जायेगा।

16. सी.आई.एस.एच. के निदेशक के पास न्यायसंगत कारणों से संस्थान के हित में संविदा की अवधि कम करने या समाप्त करने या बढ़ाने का अधिकार है जिसकी सूचना निविदाकार को दे दी जायेगी।
17. सी.आई.एस.एच. के निदेशक का निर्णय संविदा के किसी भी पहलू के लिये अंतिम होगा तथा सभी पक्षों को इसको मानने की बाध्यता होगी। यदि संविदा से संबंधित विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो परस्पर परामर्श से मामले को सुलझाया जायेगा तथा यदि विवाद नहीं सुलझता है तो मामले को सी.आई.एस.एच. लखनऊ के निदेशक द्वारा नियुक्त विवाचक को प्रेषित किया जायेगा। सी.आई.एस.एच., लखनऊ के निदेशक द्वारा नियुक्त विवाचक का निर्णय अंतिम तथा सभी पार्टियों के लिये बाध्य होगा। विवाचक की कार्यवाही आरबीट्रेशन एण्ड कौन्सटीट्यूशन अधिनियम 1966 द्वारा शासित होगी।
18. संस्थान द्वारा स्वीकृति को फैक्स या संचार के किसी अन्य माध्यम के द्वारा बताया जायेगा। निविदा से संबंधित औपचारिक स्वीकृति पत्र तथा कार्य का आदेश भी शीघ्रति शीघ्र अग्रेषित की जायेगी किन्तु फैक्स, पत्र आदि से प्रेषित अनुदेशों का तत्काल पालन करना होगा।
19. यह संविदा प्रारंभ में एक वर्ष के लिये लागू होगी। संविदा की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका अधिकार सक्षम प्राधिकारी महोदय को होगा।
20. संस्थान में जनसूचना कानून अधिनियम 2005 लागू है। अतः जो भी सूचना उपलब्ध करायी जाएगी उसको प्रकट किया जा सकता है।
21. सफल बोली लगाने वाले निविदाकार को संस्थान को सेवा उपलब्ध कराते समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम तथा श्रम अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन करना होगा।
22. सफल निविदाकार को लागू होने वाले ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. के अधिनियमों का भी पालन करना होगा। संस्थान की आवश्यकता होने पर यहाँ कार्यरत स्टाफ का ई. एस.आई तथा ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. कार्यालयों में जमा की गयी राशि की पावती संख्या भी संस्थान को उपलब्ध करानी होगी।
23. सफल निविदाकार को 100 रूपये के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर सी.आई.एस.एच. से विस्तृत ठेका करार करना होगा।

24. ठेकेदार द्वारा अपने स्टाफ को दी जाने वाली मजदूरी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के न्यूनतम श्रम मजदूरी अधिनियम से गवर्न्ड करना होगा।

25. निविदा प्रपत्र के साथ अनुलग्न होने वाले दस्तावेज जो तकनीकी बोली का हिस्सा होंगे को निविदा दस्तावेज के संलग्नक–3 में दिखाया जायेगा।

26. 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर समझौता, निष्पादन सुरक्षा राशि का जमा किया जाना (10 प्रतिशत कुल ठेका मूल्य का) जैसे कोडल फौरमैलिटीज के पश्चात् ही कार्य निष्पादन प्रारंभ करना होगा।

27. संविदाकार को प्रत्येक तिमाही में संस्थान द्वारा चार्ज किये गये सेवा कर को तिमाही रिटर्न के माध्यम से अवश्य जमा करना होगा।

28. अंग्रेजी अथवा हिन्दी के निविदाओं में यदि विरोधाभाष पाया जाता है तो अंग्रेजी के निविदा को अंतिम माना जावेगा ।

भवदीय,

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते निदेशक सी.आई.एस.एच. लखनऊ की ओर से

भा.कृ.अनु.परि.– केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रहमानखेड़ा एवं रायबरेली रोड परिसरों एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में बागवानी प्रक्षेत्र कार्य को ठेका पर करवाने सम्बन्धी वार्षिक ठेका कोटेशन

पूरा नाम तथा निविदादाता का पता पोस्ट बॉक्स संख्या सहित (यदि कोई पोस्ट बॉक्स संख्या है तो कार्यालय से किये गये सभी संचार में उसको उद्धरित किया जाना चाहिये)

फोन नं.:

टेलीग्राफिक पता / फैक्स / मो.नं:

ई–मेल का पता:

प्रेषिती

.....
.....
.....

सेवा में

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
रहमानखेड़ा पोस्ट काकोरी,
लखनऊ 226101

महोदय,

मैंने / हमने केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में किये जाने वाले मौसमी बागवानी प्रक्षेत्र कार्य से संबंधित सामान्य सूचना तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के ब्योरों को पढ़ा है तथा अनुसूची में दिये गये विस्तृत सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये तैयार है। उद्धृत दर संविदा संबंधी कार्य अवार्ड करने से एक वर्ष की अवधि तक मान्य होगा। मैं / हम लिखित समय में प्रेषित किये गये संचार से स्वीकृति के लिये बाध्य होंगे।

2. मैं / हमने संविदा से संबंधी निबंधन एवं शर्तों को समझ लिया है तथा इन अपेक्षाओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध करायेंगे।

3. इस निविदा के प्रारूप में निम्नलिखित पृष्ठों को जोड़ा गया है। अनुसूची एक तथा दो जो इस निविदा के साथ संलग्न है को पृष्ठ संख्या.....में जोड़ा गया है।

4. इस निविदा से संबंधित सभी पृष्ठों पर मेरा हस्ताक्षर तथा कार्यालय का मोहर विद्यमान है।

5. आई.सी.ए.आर यूनिट सी.आई.एस.एच लखनऊ को देय रू0..... वाले पेय आर्डर/डी.डी नं0 को बयाना राशि के रूप में अनुलग्न किया गया है।

भवदीय

दिनांक:.....

निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील

गवाह.....

कार्यालय का टेलीफोन नं0

पता.....

आवास

व्यवसाय.....

मोबाईल सं0

संविदाकार के हस्ताक्षर के साक्षी हस्ताक्षरकर्ता

पता

गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

पता

संलग्नक –1

न्यूनतम 3 वर्षो के अनुभव/किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	विभाग/संगठन का नाम तथा संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम फोन नं. सहित	अवधि		कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या	अभ्युक्ति
		से	तक		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची – I

निविदाओं की अनुसूची

भाग – 1

1. फर्म/एजेंसी का नाम

2. पोस्ट बॉक्स नं तथा टेलीफोन नं. यदि कोई हो
के साथ पूरा पता

3. फर्म/एजेंसी का संगठन (संलग्न प्रतिलिपि)

क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956

ख) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
(कृपया भागीदारों के नाम दे)

ग) किसी अन्य अधिनियम, अगर नहीं, मालिकों

4. साझेदारी फर्म जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत किये गये हैं। कृपया वर्णन करें कि क्या निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले साझेदारी समझौता साथी को जानकारी दी है।

i) यदि ऊपर का जवाब नकारात्मक है तो
क्या सभी भागीदारों द्वारा किसी साझेदारी को जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किये हैं को मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियॉ दी गयी हैं ताकि विवाद की स्थिति में विवाचन के लिये विचारार्थ भेज सके ।

ii) ऊपर का जवाब यदि बिंदु एक और दो में है तो
हस्तक्षरकर्ता साझेदारी समझौता या मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियॉ की एक प्रति प्रस्तुत करे। साझेदारी समझौते की प्रतिलिपि नोटरी द्वारा सत्यापित की हुई होनी चाहिए या इसके सभी साझेदारों द्वारा मुहर लगी कागज पर शपथ पत्र के साथ निष्पादन किया हुआ होना चाहिए।

5 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 1 (1)/2011/टी.ए./292 दिनांक 31.03.2012 के अनुसार 25,000.00 रुपये से अधिक के लिए ई–भुगतान अनिवार्य है। इसलिए निम्नलिखित जानकारियॉ प्रदान की जानी जरुरी है।

क) नाम और अपने बैंकर का पूरा पता

ख) फर्म के बैंक खाता सं.

ग) बैंकर का आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या

6. अपने स्थायी आयकर (पैन) संख्या / सर्किल / वार्ड
7. कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी
8. सेवा कर पंजीकरण सं.
9. टिन नं

भाग द्वितीय

10 बयाना पैसे जमा : हां / नहीं

भाग – **III**

11. नाम और फर्म के प्रतिनिधि का पता और क्या फर्म में प्रतिनिधित्व निविदाएं खोलने के समय उपलब्ध होंगे।

12. स्थायी प्रतिनिधि का नाम जो भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर. एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में ठेका के कार्य के सिलसिले में आते जाते रहेंगे।

(रहमानखेड़ा और आर.बी. रोड कैम्पस एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिए अलग से दिया जा सकता है)

दिनांक :––––––––––––––––––––––

स्थान :––––––––––––––––––––––

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कृपया अनुपूरक पृष्ठों को जोड़ें जहाँ भी निविदाकर्ता द्वारा जरूरत समझा जाये।

अनुसूची–**II**

निष्पादन किये जाने वाले कार्य/कार्य क्षेत्र

सामान्य सूचना तथा संविदा की अन्य निबंधन एवं शर्ते जिसमें केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा एवं रायबरेली रोड परिसर लखनऊ एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे बागवानी प्रक्षेत्र कार्यो का निष्पादन कार्य क्षेत्र सम्मिलित है।
रहमानखेड़ा एवं रायबरेली रोड परिसर तथा के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिए अलग–अलग दरें उद्धृत की जाएगी।

1. जिस निविदाकार को बागवानी प्रक्षेत्र कार्य को सविंदा पर आंबटित किया जायेगा उसे उन कार्यों का निष्पादन करना होगा। बागवानी प्रक्षेत्र कार्यो में बाहर से वित्त पोषित परियोजनाएँ सम्मिलित हैं जिनका प्रशासनिक नियंत्रण संस्थान के पास है। संस्थान के परिसर में अनेक नेट/पॉलीहाउस हैं जो पूरे वर्ष क्रियाशील रहती हैं। इनमें सब्जियां अलग–अलग तरह के पैदा किए जाने वाले फल फसलें, अन्तः फसलों की प्रकिया आदि सम्मिलित हैं। इसके अलावा रहमानखेड़ा स्थित ब्लाक प्रथम तथा पौधशाला के कार्य भी आउटसोर्सिंग द्वारा किए जाते हैं। आउटसोर्सिंग के द्वारा पॉलीहाउस की स्थिति में सीडलिंग को लगाने से लेकर पौधों के रखरखाव कर उन्हें बेचने की स्थिति तक के सभी कार्य दिये गये हैं। इन कार्यों को निविदा के कार्य में सम्मिलित कर दिया गया है।
2. संस्थान में बागवानी प्रक्षेत्र कार्य से संबंधित मौसमी कार्य तथा बाहर से वित्तपोषित परियोजनाओं का कार्य संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कुल आउटसोर्सिंग व्यय रूपये पैतीस लाख आया था। इतना ही व्यय आगामी वित्तीय वर्ष में ऊपर लिखित कार्य को ध्यान मे रखकर अनुमानित किया गया है।
3. निविदाकार द्वारा निविदा के लिए सारणी में दी गयी दरें प्रति कार्य के लिए प्रति इकाई के अनुसार होंगी।

क्र.सं.	आउटसोर्सिंग प्रारुप के अनुसार कार्य की प्रवृत्ति	
1.	मेड़ों की सफाई व उन पर उग रहे पौधे की जड़ो को निकालने का कार्य	प्रति रनिंग मी.
2.	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का कार्य (1 मीटर व्यास)	प्रति थाला
3.	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय (2 मीटर व्यास)	प्रति थाला
4.	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय 3 मीटर व्यास)	प्रति थाला
5.	प्लाटों में ट्यवेल द्वारा सिंचाई का कार्य	प्रति है0
6.	आम व अन्य पौधों में टैंकर द्वारा स्प्रे का कार्य	प्रति टैंकर (2000 ली.)
7.	आम आंवला को सुरक्षित तोड़ने के बाद कैरट भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना	प्रति घण्टा
8.	कीटनाशकों व सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव	प्रति घण्टा

9.	अमरूद एवं आंवला के पेड़ो में तना भेदक कीट का प्रकोप होने पर तीली द्वारा छेदो की सफाई करके उसमें कीट नाशक भरना	प्रति घण्टा
10.	आम, अमरूद एवं आंवला के पेड़ो पर जमींन की सतह से 1 मीटर तक तने की पुताई का कार्य	प्रति घण्टा
11.	आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों की कटाई छंटाई उपरान्त गिरे हुए पत्तों एवं डालो को खेत से हटाना	प्रति घण्टा
12.	आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों में प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने का कार्य	प्रति वर्ग मी
13.	जुताई के दौरान ड्रिप पाइप को हटाना एवं जुताई के बाद बिछाना	प्रति है0
14.	आम, आंवला एवं अमरूद के प्लाटों में अन्तः फसल लगाने हेतु बेड बनाने का कार्य ;बेडो में गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद का मिश्रण मिलाने का कार्य	प्रति 1000वर्ग मी
15.	अन्तः फसल लगाने हेतु बेडो पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा प्लास्टिक मल्चिंग शीट बिछाने का कार्य; मल्चिंग शीट में छेद करके पौध रोपने का कार्य	प्रति वर्ग मी
16.	आम, अमरूद व सब्जियों के पौधों को सहारा देने हेतु स्टेकिंग का कार्य	प्रति 100 पौधा
17.	अन्तः फसल सब्जियो के पौधों में पिंचिंग एवं ट्रेनिंग उपरान्त कूड़े का निस्तारण	प्रति100 वर्ग मी
18.	आम के बाग में लगी अन्तः फसलेा के पौधों की निकाई का कार्य	प्रति 1000 वर्ग मी.
19.	आम, अमरूद व आंवला के बागों में लगी अन्तः फसलों के कीड़ो एवं रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक स्प्रे का कार्य	प्रति 1000 वर्ग मी.
20.	बागों में लगी अन्तः फसले सब्जियो की तुड़ाई उपरान्त कैरट में भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना	प्रति 1000 वर्ग मी.
21.	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फसल बोने हेतु बेड को तैयार करके ड्रिप की पाइप बिछाने का कार्य।	प्रति100 वर्ग मी.
22.	पॉली हाउस, नेट हाउस प्रो ट्रे में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरकर बीज बोने का कार्य	प्रति 100 बीज
23.	पाली हाउस रासायनिक खाद व सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर बेडो में डालना तथा मिट्टी में मिलाने का कार्य	प्रति वर्ग मी.
24.	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में पौध रोपड़ का कार्य	प्रति वर्ग मी.
25.	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फॉगर, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई प्रणाली की साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य	प्रति100वर्ग मी.
26.	पॉलीबैग में फर्न की पौध तैयार करना–23 से.मी. ग 15 से.मी. पैकेट भरने हेतु मिश्रण (मिट्टी–गोबर की खाद–बालू/मौरंग) बनाना तथा भरना और पौधा लगाना (प्रति 100 थैली)	प्रति 100 थैली
27.	पौध रोपण का कार्य (पौधे के पिण्डी से पॉलीथीन/घास हटाना, मिट्टी में पौधे की जगह बनाना, पौध लगाना, मिट्टी दबाना एवं सिंचाई)	प्रति 100 पौधे
28.	जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों में निकली शाखाओं का विरलन–हर शाखा पर 8 से 10 शाखाओं को छोड़ते हुए अन्य को निकलना	प्रति वृक्ष
29.	जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों के थालों में गुड़ाई, खरपतवार निकालना, घास फूस से 6" मोटी परत बिछाकर मल्चिंग करना	प्रति थाला

30.	आम के वृक्षों के थालों में पॉलीथीन की मल्चिंग करना	प्रति थाला
31.	बगीचे में खेत तैयार कर परवल की कटिंग लगाना (50'50 सेमी दूरी)	प्रति 100 वर्ग मी.
32.	बगीचे में खेत तैयार कर मेंड़ो पर 50'50 सेमी दूरी पर जिमीकंद का रोपण	प्रति 100 वर्ग मी.
33.	खेत तैयार कर खाद मिलाकर सब्जियों की बुवाई/रोपण	प्रति 100 वर्ग मी.
34.	सब्जियों की क्यारियों की निराई–गुड़ाई , आवश्यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना	प्रति 100 वर्ग मी.
35.	वर्षा में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य।	प्रति वर्ग मी.
36.	पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य।	प्रति घण्टा
37.	सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई।	प्रति वर्ग मी.
38.	बयोडायनमिक कम्पोस्ट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थो को एकत्र करना।	प्रति ढेर (5'2.5'1.5 मी.)
39.	वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य।	प्रति ढेर (3'1.5'0.3 मी.)
40.	कार्बनिक तत्वों (घास–फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना।	प्रति ढेर (3.5'2.5'1.25)
41.	नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना	प्रति 200 लीटर
42.	जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना	प्रति घण्टा
43.	आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना	प्रति पौधा
44.	खाद के गड्ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना	प्रति ट्राली
45.	आम के पौधों में थैचिंग करना/थैचिंग हटाने का कार्य	प्रति घँटा
46.	प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ	प्रति घण्टा
47.	प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ	प्रति घण्टा
48.	पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई–छटाई	प्रति घण्टा
49.	समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव	प्रति घण्टा
50.	पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई	श्रमिक द्वाराः (1क्यूबिक फिट) ट्रैक्टर द्वाराः (1क्यूबिक फिट)
51.	गड्ढे की भराई (खाद तथा अन्य सामग्री के साथ)	प्रति गढ़ढ़ा (1 क्यूबिक फिट)
52.	क्यारियों में रक्खें बीजू पौधों को नेट हाऊसों एवं पाली हाऊसों में शिफ्ट करना	प्रति पौधा।
53.	ग्राफ्टेड पौधों को नेट हाऊसो एवं पाली हाऊसों से निकाल कर ट्रक/अन्य वाहनों में लोड करना	प्रति पौधा।

54.	क्यारियों में तैयार किये गये अमरूद, आँवला एवं बेल आदि के बीजू पौधों को क्यारियों से निकालकर पालीबैग में लगाना व पालीबैग को पौधे लगाने के उपरान्त पाली हाऊसों, नेट हाऊसों एवं क्यारियों में शिफ्ट करना	प्रति पौधा।
55.	पालीबैग में लगे हुए पौधों को क्यारियों में शिफ्ट करने के लिए 5.0 मी. लम्बी 1.0 मी. चौड़ी 9.0 इचं गहरी साईज की क्यारियाँ बनाने का कार्य	प्रति वर्ग मीटर।
56.	पाली हाऊसों में लगे कूलिंग पैण्डस की साफ–सफाई का कार्य	प्रति घण्टा
57.	आम, अमरूद, आँवला, बेल, लीची एवं अनार तथा जामुन आदि के ग्राफ्टेड पौधों में नियमित पिचिंग, बीडिंग व सिंचाई आदि का कार्य	प्रति पौधा/माह।
58.	आम में जाला हटाने का कार्य	प्रति घण्टा
59.	अन्तः फसलों की कटाई का कार्य	प्रति हे0
60.	अन्तः फसलों की मड़ाई का कार्य	प्रति घण्टा
61.	वर्षा द्वारा प्लाटों में हुए कटाव को भरने का कार्य	प्रति घन मी.
62.	पॉली बैग भरने हेतु मिश्रण (खाद, मिट्टी एवं अन्य सामग्री) मिलाकर भरना व पॉली बैग को नेट हाउस/पॉली हाउस में शिफ्ट करने का कार्य (7.5 ग 7 इंच)	प्रति पॉली बैग।
63.	कुशल श्रमिक	प्रति घण्टा
64.	अकुशल श्रमिक	प्रति घण्टा
65.	अर्द्धकुशल श्रमिक	प्रति घण्टा

4. रहमानखेड़ा के अलग–अलग ब्लॉकों के फसल आधारित क्षेत्र जिसमें अंतः फसलों से सम्बंधित वृक्ष और प्रक्षेत्र सम्मिलित हैं की जानकारी नीचे दी गयी है।

Sl.no.	Datails	Block I	Block II	Block III	Block IV	Total (ha.)
1	Mango	2.225	25.92	32.12	7.825	**68.09**
2	Guava	2		5.5	2.28	**9.78**
3	Bel	0.594		0.25	1.75	**2.594**
4	Aonla			0.6	2	**2.6**
5	Litchi	0.437		0.75		**1.187**
6	Grapes		0.25			**0.25**
7	Jamun	0.1			1.5	**1.6**
8	Karoda				0.5	**0.5**
9	Kaitha				0.75	**0.75**
10	Khirni				0.5	**0.5**
11	Emili				0.5	**0.5**
12	Mahua				0.5	**0.5**
13	Pomgranate	0.75				**0.75**
14	custerd apple			1.5		**1.5**
15	Badhal Karmbola			0.5		**0.5**
16	Mulbery			0.5		**0.5**
17	falsa			0.5		**0.5**
18	Gulab Jamun			0.5		**0.5**
19	Laquat			0.5		**0.5**
20	peach, plum & pear				0.5	**0.5**
21	Banana		0.75			**0.75**
22	Nursery	0.63			0.25	**0.88**
23	Scion block	1				**1**
24	Road,channals&others	1.4	8.08	3.3	0.25	**13.03**
25	wather station				0.25	**0.25**
26	other crops	4.444	0.18	2	3	**9.624**
27	FYM pit	0.24	0.32	0.5	0.5	**1.56**
28	Water Havesting pond	0.25			1.52	**1.77**
29	undeveloped Area	1.1		6.495	1.94	**9.535**
	Total(Area in ha)	**15.17**	**35.5**	**55.515**	**26.315**	**132.5**

5.	आर0 बी0 रोड कैम्पस का कार्यक्षेत्र 9 हे0 जिसमें निम्न पेड/पौधे उपलब्ध हैं।			
	1.	आम	50 x 50 मीटर	14 प्लाट
			50 x 50 मीटर से कम	03 प्लाट
	2.	अमरूद	50 x 50 मीटर	06 प्लाट
			50 x 50 मीटर से कम	01 प्लाट
	3.	आवंला	50 x 50 मीटर	04 प्लाट
			50 x 50 मीटर से कम	04 प्लाट
	4.	बेल	50 x 50 मीटर से कम	04 प्लाट
	5.	नीबूं	50 x 50 मीटर	01 प्लाट
	6.	खाली प्लाट	50 x 50 मीटर	05 प्लाट
			50 x 50 मीटर से अधिक	01 प्लाट
			50 x 50 मीटर से कम	05 प्लाट
6.	भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, आर.आर.एस.–माल्दा (पश्चिम बंगाल)			
	1.	आम	35.0 एकड	
	2.	खाली प्लाट	35.04 एकड़	

निबंधन एवं शर्तें

1. भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसरों एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में किये जाने वाले मौसमी नौकरियों के आउटसोर्सिंग कार्य का निष्पादन संस्थान की सम्पत्ति को बिना किसी क्षति के किया जाना है। यदि, ठेकेदार के द्वारा तैनात किसी श्रमिक से क्षति होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। क्षति का प्राक्कलन निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार को क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए सहमत होना पड़ेगा।

2. कार्य क्षेत्र– कार्य क्षेत्र जो कि सिड्यूल ।।। ए में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त यदि कोई छोटा कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो उसे बिना किसी भुगतान के सम्पादित करना होगा ।

3. संस्थान द्वारा चिन्हित क्षेत्र में सिचाई के लिये पानी उपलब्ध कराया जायेगा । ठेकेदार को सप्लाई क्षेत्र से पानी का बटवारा अपने संसाधनों द्वारा सम्पादित करना होगा जिसके लिये सभी आवश्यक छोटे उपकरण ,जानकारी, मानव शक्ति एवं कर्मचारी का उन्हें स्वयं करना होगा एवं भुगतान करना होगा । इस कार्य हेतु बड़े उपकरण यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा उपलब्ध करााया जायेगा ।

4. हार्टीकल्चरल रख–रखाव से सम्बन्धित सभी छोटे औजार ,कर्मियों की वर्दी ठेकेदार को अपने स्तर से मॉग के अनुरुप उपलब्ध करानी होगी।

5. .संस्थान की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार अनुबंध के आधर पर दिये हुए कार्य को उप–किरायेदार को नहीं दे सकता है।

6. सेवा कार्यो का भुगतान पूर्व रसीदी बिल को मासिक रुप से जमा करने के बाद ही किया जाएगा।

7. संस्थान के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर. एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) स्थित सभी ब्लॉकों के लिये सेवा कार्य नहीं दिये जायेंगे।

8 .ठेकेदार को अपने सभी कर्मियों के लिये यातायात की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी तथा कार्यस्थल पर कार्य से सम्बन्धित जरुरी सामान लाने एवं निस्तारण योग्य सामान को अधिकृत स्थल पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसकी लिये उन्हें संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।

9. एजेंसी 21 से 40 वर्ष के आयु समूह के मजबूत, स्वास्थ्य और स्वच्छ रिकॉर्ड वाले अच्छे और विश्वसनीय लोगों को रोजगार पर लगाये। इस मामले में यदि कोई कार्मिक किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो संस्थान को बिना कोई कारण बताये उनकी प्रतिस्थापन के लिए पूछने का अधिकार होगा और एजेंसी को लिखित संचार की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्तियों को तत्काल बदलना होगा होगा।

10. भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.–आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिये अलग–अलग कार्य दरों का उद्धरण करना होगा जिसमें प्रत्येक मानवश्व्याक्ति, यातायात आदि पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखना होगा। संस्थान ई.पी.एफ. योगदान, ई.एस.आई. योगदान, वर्दी, अन्य पहनावे, ओ.टी.ए. आदि के लिए कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करेगा।

10(ए) ठेकेदार को उनके द्वारा लगाये गये प्रत्येक कर्मियों को वैध परिचय पत्र जारी करना होगा जिससे कि उसे संस्थान परिसर में प्रवेश मिल सके । प्रत्येक कर्मी को अपना परिचय पत्र संस्थान में प्रवेश करते समय एवं संस्थान से बाहर जाते समय दिखाना आवश्यक होगा ।

11. ठेकेदार श्रमिकों के संबंध में सभी अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करेगी जिसमें उन्हें नियोजित किया जाना / उनके वेतन और सेवा शर्तों के संबंध मे/ कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनाती / सभी नियमों और विनियमों और कानून के प्रावधानों का अनुपालन जो कि सेवा में समय–समय पर उन पर लागू हो सकता है। ठेकेदार क्षतिपूर्ति करने , किसी भी दाव में, हानि या नुकसान के विभिन्न पहलुओं पर कानूनों के तहत दायित्वों का पालन करेगा तथा जो किसी भी विफलता के कारण यह करने के लिए कारण हो सकता है जिसके लिये वह परिषद को इसकी क्षतिपूरित करेगा। किसी भी विवाद के मामले में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

12. चयनित एजेंसी भारत सरकार/उत्तर प्रदेश/ पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम कानून के अनुसार संस्थान के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिये अलग–अलग आवश्यक कार्मिको को तैनात करेगी।

13. ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित एक अधिकारी की उपस्थिति में संस्थान के परिसर में अगले महीने की 7 तारीख तक उसके द्वारा लगे कर्मियों को चैक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ठेकेदार को मजदूरी का भुगतान करना होगा, ताकि वहाँ तैनात कर्मियों के कर्तव्यों के प्रदर्शन में कोई व्यवधान न हो । मजदूरी , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और एक साथ सरकार द्वारा लागू वैधानिक अधिनियमों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए जो पश्चिम बंगाल /उत्तर प्रदेश के द्वारा समय–समय पर लागू हो । संस्थान के पास समय समय पर तैनात कर्मियों को उसके द्वारा किए गए मजदूरी के भुगतान की स्थिति की जाँच करने के लिए अधिकार सुरक्षित है।

14. निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर विधिवत रुप से हस्ताक्षर किए होने चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को अलग–अलग लिफाफों में प्रेषित किया जाना अनिवार्य है जिनके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लिखा होना चाहिये अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

15. यह संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आता है। अतः बोली करने वाले से संबंधित सभी जानकारियों का सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत खुलासा किया जा सकता है।

16. फर्म द्वारा तैनात कर्मियों के लिए संस्थान द्वारा कोई आवास/जगह प्रदान नहीं किया जाएगा।

17. कार्य स्थल पर यदि ठेकेदार के किसी कर्मी की दुर्घटना होने, मृत्यु होने आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी तथा ठेका समाप्त होने के उपरान्त भी इस तरह के कर्मियों का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा ।

18. संस्थान परिसर में कार्य के दौरान उनके द्वारा लगाये गये कर्मियों का उनकी गलती से किसी भी प्रकार की घटना या र्दुघटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मामले को पुलिस/न्यायालय से निपटाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

19. आउटसोर्सिंग कार्य के आबंटन संबंधी अधिसूचना जारी होने के 21 दिनों के अन्दर, ठेकेदार को निष्पादन सुरक्षा–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के बागवानी से संबंधी मौसमी कार्यों में आने वाली कुल अनुबंधित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी।

20. आपूर्तिकर्ता से हुए किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति लिए तथा यदि वह अनुबंध के दायित्व को पूरा करने में विफल होता है तो निष्पादन सुरक्षा से मुआवजा वसूल किया जाएगा।

21. निष्पादन सुरक्षा–बागवानी के मौसमी प्रक्षेत्र कार्य भारतीय रुपए में जमा किया जाएगा। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है।
(अ) किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जो आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.आई.एस.एच. के पक्ष में लखनऊ में देय हो।
(ब) निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी।

22. निष्पादन सुरक्षा–बागवानी के मौसमी प्रक्षेत्र कार्य सी.आई.एस.एच. द्वारा रखा जाएगा और संतोषजनक ढंग से संविदात्मक दायित्व के पूरा होने पर ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा।

23. मजदूरी अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रहमानखेडा या रायबरेली रोड स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरित की जाएगी। संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के रूप में प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के संवितरण को प्रमाणित करना होगा।

24. निविदाकार को प्रत्येक माह के पश्चात अगले माह की 10 तारीख के उपरान्त बिलों को जमा करना होगा। बिलों के साथ उस माह के मजदूरी के भुगतान की प्रतिलिपि व पिछले महीने का सर्विस टैक्स, ई.पी.एफ़ जमा के चालानों की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। यदि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सेवा कार्य प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार संतोषजनक पायी जाएगी तो दिनांक 31.03.2012 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं. 1(1)/2011/टी ए /292 से जारी अनुदेश के अनुसार ई–पेमेंट द्वारा किया जाएगा। यदि निर्धारित कार्य प्राधिकृत अधिकारियों के अनुसार संतोषजनक नहीं पूरी की जाएंगी तो निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के विवेक के अनुसार काट ली जाएगी। निदेशक का यह निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार को मान्य होगा।

25. निविदाकार अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में सभी कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही समय–समय पर उन पर लागू होने वाले ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम ईपीएफ एवं एम.पी. अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि सभी नियम और विनियमन के कानून के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। ठेकेदार को भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ को अनुबंध के आधार पर निर्धारित कार्यों के पालन में वैधानिक दायित्व अर्थात विभिन्न कानूनों के तहत अपने दायित्व का पालन न करने के लिए ठेकेदार की विफलता के कारण विफल होने से संस्थान को होने वाली हानियों या क्षति संबंधी दावों की पूर्ति करने के लिए सहमत होना पड़ेगा।

26. किसी भी स्थिति में निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के कर्मचारी समझे या माने नहीं जायेगें तथा एजेंसी/निविदाकार द्वारा नियुक्त सभी श्रमिकों की पारिश्रमिकी सेवा संबंधी लाभ तथा कल्याण के लिए निविदाकार स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

27. किसी भी परिस्थिति में संस्थान दोनों पक्षों के अनुबंध संबंधी देनदारी के अलावा किसी अतिरिक्त वित्तीय के प्रति देनदार होगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास बिना किसी सूचना के अनुबंध को नोटिस के तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार होगा तथा ठेका एजेंसी

को समझौता को रद्द किये जाने से हुई धनराशि संबंधी क्षति के प्रति देनदारी नहीं होगी।

28. यदि दोनों समझौता पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का प्रश्न या विवाद अर्थ या समझौतों का खंड या देनदारियों के अधिकार से संबंधित उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न या विवाद को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा नियुक्त विवेचक के समक्ष लाया जायेगा। दिये गये कार्य विवाचन के उपबंधों तथा भारत में लागू होने वाले सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार होंगे जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

29. ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिक संस्थान स्टाफ के साथ सामाजिक संबंध विकसित नहीं करेगा।

30. ठेकेदार द्वारा श्रमिक को आउटसोर्स कार्य करने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं/संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना होगा ।

31. संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि यदि किसी भी स्तर पर उसके द्वारा हार्टीकल्चरल फील्ड कार्य से सम्बन्धित कार्य के लिये संस्थान द्वारा उल्लिखित किसी भी शर्तो का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा किया जाता है तो संस्थान उसका अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

32. सफल ठेकेदार का ठेका अनुबन्ध प्रथम बार में ठेका प्रदान करने से 12 माह के लिये होगा जिसे संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अगले एक वर्ष तक बडाने पर विचार किया जा सकता है जिस प्रकार ठेका अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा जिसके समस्त नियम एवं शर्तो पर दोनाों पक्षों की सहमति आवश्यक होगी ।

33. यदि ठेकेदार की ठेका अवधि में संस्थान को किसी भी प्रकार की क्षति चोरी अथवा अन्य किसी भी प्रकार से होती है तो सम्बन्धित ठेका अनुबन्ध बिना पूर्व कारण बताये हुये समाप्त करने का अधिकार संस्थान को होगा तथा संस्थान हो हुये नुकसान की भरपायी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।

34. ठेका अनुबन्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों को संस्थान परिसर शान्तिपूर्वक छोड़ना होगा तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध सामान,औजार, उपकरण, फर्नीचार आदि जो कि संस्थान से सम्बन्धित हो लिखित रुप में वापस करना होगा तथा यदि उनके द्वारा अपने किसी सामान का किसी स्थल पर भण्डारण किया गया है तो उसे तत्काल हटाना होगा । ठेकेदार द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का स्टोर हटा दे एवं उपलब्ध वस्तु को निस्तारित कर दे अथवा बेच दे जिस पर ठेकेदार का कोई क्लेम नहीं होगा ।

35. यदि ठेकेदार का कोई कर्मी/स्टाफ दिन प्रतिदिन के अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में किसी भी स्तर पर असफल होता है अथवा संस्थान की नजर में किसी भी कारणवश कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि इस कारण से संस्थान को होने वाली आर्थिक हानि की भरपायी का

आंकलन करके ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाले उसके बिल से इसकी भरपायी करे ।

36. हिन्दी एवं अंग्रेजी की निविदा में अंकित शर्तो में यदि कोई विरोधाभाष पाया जाता है तो अंग्रेजी में अंकित शर्तो को अंतिम माना जायेगा ।

जुर्माना खंड/नष्ट हर्जाना खंड

1. दिये गये कार्यो के विश्वसनीयता पूर्वक अनुपालन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन या कार्य की सफलतापूर्वक निष्पादन की विफलता के कारण कार्य आबंटन को रद्द कर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. प्रत्येक दिन के हर्जाने के रूप में 500 रुपये की राशि लगायी जायेगी। जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि किसी भी स्थान पर किया गया कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसे संस्थान द्वारा फर्म के पर्यवेक्षी कर्मचारी के ध्यानार्थ लाया जाएगा और अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, नष्ट नुकसान खंड लागू किया जाएगा।
3. एजेंसी द्वारा तैनात मानवशक्ति की ओर से किसी भी कदाचार/दुर्व्यवहार को गंभीरता से देखा जाएगा।

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेका के तहत आने वाले किसी भी खंड के संबंध में ठेकेदार/एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद केवल लखनऊ न्यायालय में ही मान्य होगा किसी भी अन्य जिलों में दायर मामले मान्य नहीं होंगें ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक – **II**

वित्तीय बोली

(रहमानखेड़ा और रायबरेली रोड परिसरों एवं के.उ.बा.सं.– आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिए अलग–अलग लिफाफों में वित्तीय बोली संलग्न करें)

बोली प्राप्त करने की अतिंम तिथि : 01.12.2016 अपराहन 4:00 बजे तक

तकनीकी बोली खुलने की तिथि : 02.12.2016 पूर्वाहन 11:00 बजे

सेवा में

निदेशक
भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,
रहमानखेड़ा, पोस्ट काकोरी,
लखनऊ – 226 101 (उत्तर प्रदेश)

□ीमान

म□ / हम क□□य उपो□ण बागवानी सं□थान के रहमानखेड़ा और रायबरेल□ रोड प□रसर□ म□ □कये जाने वाले बागवानी □□`□ कर संबंधी □न□वदा काय□-सेवा से स□बं□धत सं□वदा के □लए □नधा□रत दर पर आवेदन □□तुत करता हूँ ।

क्र. सं.	निष्पादित किये जाने वाले कार्य	निम्नानुसार दर	रहमान–खेडा की दरें	रायबरेली रोड परिसर की दरें	भा.कृ.अनु.प.–के.उ.बा.सं.,आर.आर.एस.–माल्दा (पश्चिम बंगाल)
1	मेड़ों की सफाई व उन पर उग रहे पौधे की जड़ो को निकालने का कार्य	प्रति रनिंग मी.			
2	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का कार्य (1 मीटर व्यास)	प्रति थाला			
3	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय (2 मीटर व्यास)	प्रति थाला			
4	थाला बनाने का कार्य/ थालों की गुड़ाई/ थालों में गोबर की खाद डालकर मिलाने का काय 3 मीटर व्यास)	प्रति थाला			
5	प्लाटों में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई का कार्य	प्रति है0			
6	आम व अन्य पौधों में टैंकर द्वारा स्प्रे का कार्य	प्रति टैंकर (2000 ली0)			
7	आम आंवला को सुरक्षित तोड़ने के बाद कैरट भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना	प्रति घण्टा			
8	कीट नाशकों व सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव	प्रति घण्टा			
9	अमरूद एवं आंवला के पेड़ो में तना भेदक कीट का प्रकोप होने पर तीली द्वारा छेदो की सफाई करके उसमें कीट नाशक भरना	प्रति घण्टा			
10	आम, अमरूद एवं आंवला के पेड़ो पर जमींन की सतह से 1 मीटर तक तने की पुताई का कार्य	प्रति घण्टा			
11	आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों की कटाई छंटाई उपरान्त गिरे हुए पत्तों एवं डालो को खेत से हटाना	प्रति घण्टा			
12	आम, आंवला एवं अमरूद के पौधों में प्लास्टिक मल्चिंग बिछाने का कार्य	प्रति वर्ग मी			
13	जुताई के दौरान ड्रिप पाइप को हटाना एवं जुताई के बाद बिछाना	प्रति है0			
14	आम, आंवला एवं अमरूद के प्लाटों में अन्तः फसल लगाने हेतु बेड बनाने का कार्य ;बेडो में गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद का मिश्रण मिलाने का कार्य	प्रति 1000 वर्ग मी			
15	अन्तः फसल लगाने हेतु बेडो पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली तथा प्लास्टिक मल्चिंग शीट बिछाने का कार्य; मल्चिंग शीट में छेद करके पौध रोपने का कार्य	प्रति वर्ग मी			
16	आम, अमरूद व सब्जियों के पौधों को सहारा देने हेतु स्टेकिंग का कार्य	प्रति 100 पौधा			
17	अन्तः फसल सब्जियो के पौधों में पिंचिंग एवं ट्रेनिंग उपरान्त कूड़े का निस्तारण	प्रति 100 वर्ग मी			

18	आम के बाग में लगी अन्तः फसले के पौधों की निकाई का कार्य	प्रति 1000 वर्ग मी.			
19	आम, अमरूद व आंवला के बागों में लगी अन्तः फसलों के कीड़ो एवं रोगों की रोकथाम हेतु कीटनाशक एवं फफूंदीनाशक स्प्रे का कार्य	प्रति 1000 वर्ग मी.			
20	बागों में लगी अन्तः फसले सब्जियो की तुड़ाई उपरान्त कैरट में भरकर बिक्री केन्द्र तक पहुंचाना	प्रति 1000 वर्ग मी.			
21	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फसल बोने हेतु बेड को तैयार करके ड्रिप की पाइप बिछाने का कार्य।	प्रति100 वर्ग मी.			
22	पॉली हाउस, नेट हाउस प्रो ट्रे में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरकर बीज बोने का कार्य	प्रति 100 बीज			
23	पाली हाउस रासायनिक खाद व सूक्ष्म तत्वों को मिलाकर बेडो में डालना तथा मिट्टी में मिलाने का कार्य	प्रति वर्ग मी.			
24	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में पौध रोपड़ का कार्य	प्रति वर्ग मी.			
25	पॉली हाउस एवं नेट हाउस में फॉगर, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई प्रणाली की साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य	प्रति 100 वर्ग मी.			
26	पॉलीबैग में फर्न की पौध तैयार करना–23 से. मी. x 15 से.मी. पैकेट भरने हेतु मिश्रण (मिट्टी–गोबर की खाद–बालू/मौरंग) बनाना तथा भरना और पौधा लगाना (प्रति 100 थैली)	प्रति 100 थैली			
27	पौध रोपण का कार्य (पौधे के पिण्डी से पॉलीथीन/घास हटाना, मिट्टी में पौधे की जगह बनाना, पौध लगाना, मिट्टी दबाना एवं सिंचाई)	प्रति 100 पौधे			
28	जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों में निकली शाखाओं का विरलन–हर शाखा पर 8 से 10 शाखाओं को छोड़ते हुए अन्य को निकलना	प्रति वृक्ष			
29	जीर्णोद्वरित आम के वृक्षों के थालों में गुड़ाई, खरपतवार निकालना, घास फूस से 6" मोटी परत बिछाकर मल्चिंग करना	प्रति थाला			
30	आम के वृक्षों के थालों में पॉलीथीन की मल्चिंग करना	प्रति थाला			
31	बगीचे में खेत तैयार कर परवल की कटिंग लगाना (50'50 सेमी दूरी)	प्रति 100 वर्ग मी.			
32	बगीचे में खेत तैयार कर मेंड़ो पर 50'50 सेमी दूरी पर जिमीकंद का रोपण	प्रति 100 वर्ग मी.			
33	खेत तैयार कर खाद मिलाकर सब्जियों की बुवाई/रोपण	प्रति 100 वर्ग मी.			
34	सब्जियों की क्यारियों की निराई–गुड़ाई , आवश्यकतानुसार दवा का छिडकाव, तैयार होने पर तुड़ाई एवम् विक्रय बिंदु तक पहुंचाना	प्रति 100 वर्ग मी.			

35	वर्षा में होने वाले कटाव को रोकने के लिए प्लाट में घास रोपण का कार्य।	प्रति वर्ग मी.			
36	पेड़ों की कटाई छटाई का कार्य।	प्रति घण्टा			
37	सब्जी उगाने हेतु प्लाट का ले ऑउट के अनुसार क्यारी बनाना और पौधों की रोपाई।	प्रति वर्ग मी.			
38	बयोडायनमिक कम्पोट का ढेर बनाने हेतु कार्बनिक पदार्थो का एकत्र करना।	प्रति ढेर (5'2.5'1.5 मी.)			
39	वर्मीकम्पोट बनाने का, छानने एवं बैग भरने का कार्य।	प्रति ढेर (3'1.5'0.3 मी.)			
40	कार्बनिक तत्वों (घास–फूस) का एकत्र करना और नाडेप कम्पोस्ट बनाना।	प्रति ढेर (3.5'2.5'1.25)			
41	नीम की पत्तियां एकत्र करना तथा उनसे जैविक कीटनाशक बनाना	प्रति 200 लीटर			
42	जैविक कीटनाशक को छनना और आम पर स्प्रे करना	प्रति घण्टा			
43	आम के पेड़ो में पॉलीथीन बांधना और ग्रीस लगाना	प्रति पौधा			
44	खाद के गड्ढे से गोबर की खाद लाना और प्लाट में डालना	प्रति ट्राली			
45	आम के पौधों में थैचिंग करना/थैचिंग हटाने का कार्य	प्रति घँटा			
46	प्रयोगिक प्रक्षेत्रो पर समायानुसार जुताई का कार्य ट्रैक्टर व यन्त्रों के साथ	प्रति घण्टा			
47	प्रयोगिक प्रक्षेत्रों का समतलीकरण ट्रैक्टर लेबलर के साथ	प्रति घण्टा			
48	पेड़ो की सूखी टहनियों की कटाई–छटाई	प्रति घण्टा			
49	समयानुसार प्रयोगिक प्रक्षेत्र पर प्रयोगिक छिड़काव	प्रति घण्टा			
50	पौध रोपड़ हेतु गड्ढे की खुदाई	श्रमिक द्वाराः (1 क्यूबिक फिट) ट्रैक्टर द्वाराः (1 क्यूबिक फिट)			
51	गड्ढे की भराई (खाद तथा अन्य सामग्री के साथ)	प्रति गढ़ढ़ा (1 क्यूबिक फिट)			
52	क्यारियों में रक्खें बीजू पौधों को नेट हाऊसों एवं पाली हाऊसों में शिफ्ट करना	प्रति पौधा			
53	ग्राफ्टेड पौधों को नेट हाऊसो एवं पाली हाऊसों से निकाल कर ट्रक/अन्य वाहनों में लोड करना	प्रति पौधा			
54	क्यारियों में तैयार किये गये अमरूद, आँवला एवं बेल आदि के बीजू पौधों को क्यारियों से निकालकर पालीबैग में लगाना व पालीबैग को पौधे लगाने के उपरान्त पाली हाऊसों, नेट हाऊसों एवं क्यारियों में शिफ्ट करना	प्रति पौधा।			

55	पालीबैग में लगे हुए पौधों को क्यारियों में शिफ्ट करने के लिए 5.0 m लम्बी 1.0 m चौड़ी 9.0 इचं गहरी साईज की क्यारियाँ बनाने का कार्य	प्रति वर्ग मीटर			
56	पाली हाऊसों में लगे कूलिंग पैण्डस की साफ–सफाई का कार्य	प्रति घण्टा			
57	आम, अमरूद, आँवला, बेल, लीची एवं अनार तथा जामुन आदि के ग्राफ्टेड पौधों में नियमित पिचिंग, बीडिंग व सिंचाई आदि का कार्य	प्रति पौधा/माह।			
58	आम में जाला हटाने का कार्य	प्रति घण्टा			
59	अन्तः फसलों की कटाई का कार्य	प्रति हे0			
60	अन्तः फसलों की मड़ाई का कार्य	प्रति घण्टा			
61	वर्षा द्वारा प्लाटों में हुए कटाव को भरने का कार्य	प्रति घन मी.			
62	पॉली बैग भरने हेतु मिश्रण (खाद, मिट्टी एवं अन्य सामग्री) मिलाकर भरना व पॉली बैग को नेट हाउस/पॉली हाउस में शिफ्ट करने का कार्य (7.5 ग 7 इंच)	प्रति पॉली बैग।			
63	कुशल श्रमिक	प्रति घण्टा			
64	अकुशल श्रमिक	प्रति घण्टा			
65	अर्द्धकुशल श्रमिक	प्रति घण्टा			

मैं/हम सहमत हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दिए हुए निबंधन एवं शर्तों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा नहीं करता/करते हैं तो बयाना जब्त कर लिया जाये।

मैंने/हमने निबंधन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है तथा उनसे अक्षरशः सहमत हैं।

हस्ताक्षर

नाम तथा फर्म का पता

फोन/ मोबाइल न.

संलग्नक III

तकनीकी बोली

निम्नलिखित दस्जावेजो को मोहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ अनुलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

1. फर्म का पंजीकरण उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार कार्य ठेका के अर्न्तगत होना चाहिए।
2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त (कुल बिक्री) 25 लाख रूपए से कम की नही होनी चाहिए।
3. विगत तीन वर्षो का फर्म का अनुभव संबंधित सेवाओ मे भारत सरकार के संगठनो /भारत सरकार के स्वायत्त सेवाओ/प्रतिष्ठित सरकारी एवं निजी संस्थाओ की होनी चाहिए जिनका ब्योरा टैब्युल रूप से अनुलग्न होना चाहिए।
4. फर्म द्वारा दी गई सेवाओ का वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 की प्रमाणित तुलना पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना होना अनिवार्य है।
5. विगत तीन वर्षो के दौरान राज्य सरकार/भारत सरकार के संगठनो मे जहाँ निविदाकार ने संतोषजनक सेवांए दी है की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करना अनिवार्य है।
6. स्थानीय सरकार द्वारा जारी की गई नियोक्ता इ.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. स्थानीय सरकार द्वारा जारी की गई नियोक्ता ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
8. ई.एस.आई एवं ई.पी.एफ. के अर्न्तगत अलग–अलग पंजीकृत लेबरो/श्रमिको की संख्या।
9. एजेन्सी का सेवाकर विभागो मे अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है। (पंजीकरण सलग्न करें।
10. निविदाकार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है कि क्या फर्म के विरूद्ध पी. एफ./ई.एस.आई. के उल्लंघन से संबंधी कोई कानूनी/आपराधिक मामला विचारार्थ है। फर्म/एजेन्सी को प्रमाण पत्र अनुलग्न करना होगा कि एजेन्सी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नही है।

****